राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा मान्यता प्राप्त बाल भवनों/बाल केन्द्रों को वित्तीय सहायता के लिए योजना

राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा मान्यता प्राप्त बाल भवनों/बाल केन्द्रों को वित्तीय सहायता के लिए योजना

(यह योजना 01 जनवरी, 2011 से लागू होगी)

पृष्ठभूमि

राष्ट्रीय बाल भवन अपनी विभिन्न नवोन्मेषी गतिविधियों के माध्यम से समाज के सभी वर्गों के बच्चों की सृजनात्मकता बढ़ाने के प्रति वचनबद्ध एक सर्वोच्च संस्था है और अपनी गतिविधियों के माध्यम से इस संस्थान ने भारत में अपना एक विशेष स्थान हासिल किया है। यह संस्था बच्चों के लिए तनाव मुक्त वातावरण में नवोन्मेष का अवसर प्रदान करती है। वर्ष 1956 में अपनी सुन्दर शुरूआत के पश्चात् समूचे देश में 155 मान्यता प्राप्त बाल भवनों और 23 बाल केन्द्रों मे साथ यह संस्था उत्कृष्टता के एक प्रमुख केन्द्र के रूप में स्थापित हो चुकी है। बाल भवन की पेंठ आदिवासी क्षेत्रों एवं भारत के पूर्वोत्तर राज्यों सहित दूर–दराज़ तथा पिछड़े जिलों तक बन चुकी है।

राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा आयोजित अन्तर्राष्ट्रीय बाल सभा एवं एकीकरण 2007 समारोह के दौरान मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा की गई पहल के फलस्वरूप बाल भवनों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और मंत्रालय द्वारा भारत में 100 और बाल भवन खोले जाने की घोषणा की गई थी, जिसे दो वर्षों में प्राप्त कर लिया गया।

राष्ट्रीय बाल भवन के उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए तथा इन यूनिटों का समुचित कामकाज सुनिश्चित करने के दृष्टिगत राष्ट्रीय बाल भवन के मान्यता प्राप्त बाल केन्द्रों एवं बाल भवनों को आवर्ती एवं गैर–आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराया जा रहा है। परवर्ती पैराग्राफों में इनका ब्यौरा दिया जा रहा है।

परिभाषा

(क) बाल भवन(बा भ.): एक ऐसी संस्था है जो बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाल भवन के दर्शन व पद्धति का अनुसरण करती हो और जिसमें बाल भवन की न्यूनतम पाँच वैकल्पिक गतिविधियां संचालित हो रही हों (गतिविधियों की सूची अनुबंध–। में दी गई है) और जिसके पास इसे संचालित करने के लिए एक पंजीकृत समिति हो तथा जिसके पास किराए अथवा पट्टे पर पर्याप्त स्थान उपलब्ध हो तथा जहां पंजीकृत बच्चों की न्यूनतम संख्या 500 हो, उसे बाल भवन के रूप में माना जा सकता है।

(ख) बाल केन्द्र (बा.के.) : एक ऐसी संस्था जो बच्चों को प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए बाल भवन के दर्शन व पद्धति का अनुसरण करती हो, जिसमें बाल भवन की न्यूनतम 3–5 वैकल्पिक गतिविधियां संचालित हो रही हों, जो कम से कम 3 कमरों में उपलब्ध कराई जाती है तथा जिसमें पंजीकृत बच्चों की संख्या 150–500 के बीच हो, को बाल केन्द्र के रूप में माना जा सकता है।

नोट :

(i) ऐसे मामले में, जहां बाद में बाल केन्द्र अपेक्षाकृत बेहतर कार्य करता हो, जिसकी गतिविधियों की संख्या में बढ़ोत्तरी हो जाए, सदस्य संख्या भी बढ़ जाए, तो उसे बाल भवन की मान्यता प्रदान की जा सकती है। अतः इन केन्द्रों को मानदण्डों को पूरा करके बाल भवन का दर्ज़ा हासिल करने की दिशा में अति सक्रिय कार्य करना चाहिए।

(ग) बाल भवन और बाल केन्द्रों को राष्ट्रीय बाल भवन की मान्यता प्राप्त करना ज़रूरी है।

योजना का उद्देश्य

1. गतिविधि उन्मुख परियोजनाओं के लिए मान्यता प्राप्त बाल भवनों व बाल केन्द्रों को अनुदान प्रदान करके बाल भवन आन्दोलन का विस्तार तथा इसे मजबूत बनाना।

2. मान्यता प्राप्त बाल भवनों/बाल केन्द्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने में पारदर्शिता लाना।

3. आदिवासी/ग्रामीण बाल भवन, आदिवासी बाल केन्द्र शुरू करना तथा उन्हें क्षमता निर्माण में मदद करके तकनीकी व वित्तीय सहायता मुहैयद्या कराना ताकि वे स्थायी आधार पर अपना काम जारी रख सकें।

4. विकलांग बच्चों के लिए काम कर रही संस्थाओं में बाल केन्द्र शुरू करना व वहाँ ऐसे बच्चों के लिए प्रशिक्षण सुविधायें, संसाधन सामग्री एवं किट उपलब्ध कराना।

(क) आवर्ती अनुदान जारी करने के लिए मानदण्ड

मान्यता प्राप्त ऐसे बाल केन्द्रों को आवर्ती अनुदान उपलब्ध कराना, जो दूर–सुदूर/पिछड़े/सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थित हैं अथवा सुविधा रहित व समाज के वंचित वर्गों तक पहुंच बनाना ताकि ऐसे किसी केन्द्र के अभाव में बाल भवन गतिविधियों से वंचित अन्यथा बच्चों को इसका लाभ प्राप्त हो सके। आवर्ती अनुदान से इन केन्द्रों को काम करने में मदद रहेगी। सहायता की मांग करने वाले बाल केन्द्रों को राष्ट्रीय बाल भवन की विधिवत मान्यता होनी चाहिए अथवा वे किसी अन्य मान्यता प्राप्त बाल भवन के अन्तर्गत सेटेलाइट यूनिट के रूप में काम कर रहे होने चाहिए।

पात्रता

बाल केन्द्र को दूर–दराज़/आदिवासी/पिछड़े/सीमावर्ती क्षेत्रों में अवस्थित होना चाहिए अथवा उनकी पेंठ मूलतः समाज के सुविधारहित एवं वंचित वर्गों तक होनी चाहिए ताकि इनसे बच्चे लाभान्वित हो सकें तथा ये केन्द्र किसी निजी भवन अथवा पंचायत अथवा सामुदायिक केन्द्र अथवा किसी सरकारी स्कूल में अपनी गतिविधियां संचालित कर रहे होने चाहिएं।

1. यह समिति पंजीकरण अधिनियम 1860 (अधिनियम XXI) के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति होनी चाहिए।

2. इसका अपना समुचित विधान अथवा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एवं नियम और विनियम होने चाहिए।
3. इसका विधिवत गठित प्रबंध निकाय होना चाहिए, जिसकी विधान में लिखित रूप में शक्तियां एवं कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिए।
4. इसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभार्थ संचालित नहीं होना चाहिए।
5. इसकी सेवाएं जाति, धर्म अथवा भाषा के भेदभाव के बिना सभी के लिए खुली होनी चाहिए।
6. इसके पास तीन वर्षों के लेखा परीक्षित खाते होने चाहिए।

अनुदान का प्रयोजन

1. बाल केन्द्र की गतिविधियों का समुचित संचालन एवं सदस्य बच्चों को गतिविधि सामग्री उपलब्ध कराना।
2. बाल केन्द्र में काम कर रहे अधिकम 4 अंशकालिक अनुदेशकों के वेतन का संवितरण।

अनुदान की सीमा

संचालित की जा रही गतिविधियों तथा अधिकतम 4 अंशकालिक अनुदेशकों के वेतन पर निर्भर करते हुए प्रत्येक पात्र बाल केन्द्र को प्रतिवर्ष अधिकतम 1,50,000/–रुपये (रु. एक लाख पचास हजार मात्र) की राशि उपलब्ध करायी जाएगी। यह अनुदान दो छमाही किश्तों में अदा किया जाएगा। वित्तीय वर्ष में पहली किश्त गत वर्ष जारी किए गए अनुदान के संबंध में राशि उपयोग होने के प्रमाण–पत्र उस वर्ष 31 मार्च की स्थितिनुसार खर्चे से बची राशि का समायोजना करा दिए जाएं। द्वितीय किश्त छमाही रिपोर्ट, गत वर्ष के अनुदान के लिए व्यय की प्रमाणित विवरणी तथा वित्तीय वर्ष के दौरान जारी पहली किश्त में से व्यय की गति के अध्याधीन होगी। इस संबंध में एक प्रोफार्मा अनुबंध–।। क में दिया गया है।

निधि का स्रोत

राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा बाल केन्द्रों को आवर्ती अनुदान राष्ट्रीय बाल भवन के पास निधि की अपलब्धिता/आवंटन के आध्याधीन होगा।

आवर्ती अनुदान की शर्तें

1. अनुदान प्राप्त करने वाले बाल केन्द्र को अनुबंध–।।। में किए गए निर्धारित कार्य में एक बॉन्ड निष्पादित करना होगा। अनुदान प्राप्तकर्त्ता बाल केन्द्र को लिखित रूप में पुष्टि करनी होगी कि उसे अनुदान नियमों में अन्तर्विष्ट शर्ते स्वीकार हैं और वे अनुदान के साथ संलग्न नियम व अर्नविष्ट शर्ते स्वीकार्य हैं और वे अनुदान के साथ संलग्न नियम व शर्तों के पालन के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में एक बॉण्ड निष्पादित करना होगा। यदि वे इसका पालन करने में विफल रहते हैं; तो वे इस प्रयोजनार्थ समस्त स्वीकृत अनुदान राशि तथा उस पर ब्याज राष्ट्रीय बाल भवन को लौटा देगा।
2. बाल भवन को यह प्रमाणित करना होगा कि वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होने पर अपनी सहमति देता है –

(i) वित्त का प्रशासन एवं प्रबन्धन।

(ii) अनुदान का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग, जिसके लिए वह जारी किया गया है।

(iii) सेवाओं का समुचित कार्यान्वयन, जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया गया है।

(iv) अप्रयुक्त राशि, यदि कोई हो, को राष्ट्रीय बाल भवन को वापस करना।

(v) स्वीकृति आदेश में विनिर्दिष्ट प्रयोग के अलावा किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए धन के दुरुपयोग अथवा अनधिकृत उपयोग के मामले में ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि को वापस करना।

3. समुचित क्रय प्रक्रिया का पालन किया जायेगा। न्यूनतम तीन दर सूची(कोटेशन) अनिवार्य रूप से ली जाएंगी तथा न्यूनतम दर दर्शाने वाले को आदेश दिया जाएगा। प्रत्येक लेन–देन रोकड़ बही में दर्ज़ की जाएगी।

4. अनुदान के संबंध में अनुदान प्राप्तकर्त्ता बाल केन्द्र पृथक से खातों का रख–रखाव करेगा। वित्तीय वर्ष के अन्त में संस्था को सरकारी आडिटर किसी सनदी लेखाकार से अनुदान के खातों की लेखा परीक्षा करानी होगी और लेखा परीक्षित खातों के साथ निर्धारित फार्म में निधि के उपयोग का प्रमाणपत्र(अनुबंध IV) अनुदान स्वीकृति की अवधि समाप्ति समाप्ति के छ माह के भीतर राष्ट्रीय बाल भवन के पास भेजने होंगे, ऐसा न करने पर उनके बाद के अनुदान के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. अनुदान प्राप्तकर्त्ता बाल केन्द्रों के खाते राष्ट्रीय बाल भवन के निदेशक द्वारा तैनात अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। सभी लेखा संबंधी दस्तावेज़, रोकड़ बही आदि निरीक्षण दौरान उसे उपलब्ध कराये जाएंगे।

6. बाल केन्द्र परिसम्पत्तियों, यदि कोई हो, के रिकॉर्ड का रख–रखाव, जो उसने पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से हासिल की हो तथा निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध V, VI, VII) रिकार्ड रखेगा। इस बारे में अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी कि इस अनुदान से वही परिसम्पत्तियां/उपकरण खरीदे जाएं, जो बच्चों के लिए गतिविधियां चलाने के लिए अनिवार्य समझे जाएं। ऐसी परिसम्पत्तियों की खरीद यदि कोइ हो, का औचित्य अनुदान प्राप्तकर्त्ता केन्द्र द्वारा दर्शाना होगा।

अनुदान राशि से खरीदी गई ऐसी परिसम्पत्तियां(यदि कोई हो), राष्ट्रीय बाल भवन की सम्पत्ति होंगे। ऐसी परिसम्पत्तियों की बिक्री, ऐसा आक्रान्त होगा अथवा ऐसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल, जो अनुदान में दिए गए ब्यौरे से हट कर हों, नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी समय पर मान्यता प्राप्त एजेन्सी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों को राष्ट्रीय बाल भवन के पास वापस करना हो, जो इसके पूर्व प्रयोग तथा पूर्व आवंटन के बारे में निर्णय करेगा।

8. संगठन अपनी अर्थव्यवस्था को न्यायोचित, तर्कसंगत ढंग से संचालित करेगा।

9. मान्यता प्राप्त बाल भवन अनुदान के उपयोग के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल भवन को भेजेगा। इस रिपोर्ट में लाभार्थी बच्चों की संख्या, संचालित गतिविधियों के साथ–साथ फोटोग्राफ/अन्य दस्तावेज़ होने चाहिएं।

10 (क) अनुदान का कोई भी हिस्सा भवन के निर्माण अथवा जीर्णाद्वार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(ख) अनुदान केवल गतिविधियों के संचालन के लिए है और कोई भी व्यय बाल भवन/बाल केन्द्र द्वारा आयोजित समारोह/उत्सव/प्रतियोगिता/शिविर के आयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) इस अनुदान से निदेशक/अध्यक्ष/सुयोग्य व्यक्ति को किसी प्रकार का मानदेय/वेतन/विशेष शुल्क अदा नहीं की जाएगी।

(घ) इस अनुदान का कोई अंश किसी ऐसी उपभोज्य वस्तु की खरीद के लिए खर्च नहीं किया जाएगा।

(ड) अनुदान से गतिविधियों के लिए खरीदे गए उपकरण (यदि कोई हो) के रख–रखाव पर खर्चों को संबंधित बाल भवन/बाल केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा। राष्ट्रीय बाल भवन ऐसी किसी आवर्ती व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

11. राष्ट्रीय बाल भवन मान्यता प्राप्त बाल केन्द्रों को अनुदान राशि की उपलब्धता शर्तों को पूरा करे तथा इस संबंध में राष्ट्रीय बाल भवन के निर्देशों को पूरा करने के अध्याधीन होगा।

12. आवर्ती सहायता प्रदान के संबंध में राष्ट्रीय बाल भवन का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगी।

(ख) गैर–अनावृत्ती अनुदान के लिए मानदण्ड

राष्ट्रीय बाल भवन मान्यता प्राप्त बाल भवनों एवं बाल केन्द्रों को वित्तीय सहायता की मांग करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं के आधार पर गैर–आवर्ती अनुदान प्राप्त कर सकेगा।

बाल भवन/बाल केन्द्रों द्वारा निम्नलिखित के लिए परियोजनाएं प्रस्तुत की जा सकती हैं :–

- विज्ञान वाटिका/विज्ञान कॉर्नर की स्थापना
- पेपर रिसाक्लिंग
- ऍअरो मॉडलिंग/एस्ट्रोनोमी यूनिट/मछलीघर/कम्प्यूटर लैब
- संग्रहालय/संग्रहालय विधिका
- फोटोग्राफी लैब
- बाल पुस्तकालय/पुस्तकालय में बच्चों का कोना/चल–पुस्तकालय
- शारीरिक शिक्षा केन्द्र
- सिलाई अनुभाग
- श्रव्य–दृश्य अनुभाग अथवा
- गुणदोष के आधार पर विचारार्थ कोई अन्य नवोन्मेषी परियोजना

उन्नयन एवं बदलाव सहित कतिपय प्रस्तावित परियोजना का संक्षिप्त ब्यौरा और मार्गदर्शी – निर्देश, जिसके लिए प्रोफार्मा में अनुदान की मांग की गई हो, अनुबंध–।। ख में संलग्न है।

2. बाल केन्द्र यह प्रमाणित करेगा कि वह निम्नलिखित के लिए उत्तदायित्व हेतु सहमत हैं :–

i. वित्तीय अनुशासन एवं प्रबन्धन

ii. अनुदान का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग, जिसके लिए यह प्राप्त किया गया है।

iii. उन सेवाओं का समुचित कार्यान्वयन, जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया गया है।

iv. अप्रयुक्त राशि को, यदि कोई हो, राष्ट्रीय बाल भवन को लौटाना।

v. यदि स्वीकृति ओदश में यथा उल्लिखित प्रयोजन से हट कर किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए निधियों का दुरुपयोग अथवा अनाधिकृत प्रयोग किया जाता है, तो पूर्ण राशि और उस पर ब्याज राष्ट्रीय बाल भवन को लौटाना।

3. क्रय की समुचित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। न्यूनतम तीन दरें(कोटेशन) अनिवार्यतः प्राप्त की जाएंगी और न्यून दर देने वाले को आदेश दिया जाएगा। प्रत्येक लेन–देन का नकदी–बही में अवश्य प्रविष्ट किया जाएगा।

4. गारंटी प्राप्तकर्त्ता बाल केन्द्र अनुदान के संबंध में अलग से खाते रखेगा। द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर सरकारी लेखा परीक्षक अथवा सनदी लेखा परीक्षक से अनुदान की खातों की लेखा परीक्षा की जाएगी अथवा इसके साथ निर्धारित कार्य (अनुबंध–IV) में अनुदान के इस्तेमाल का प्रमाण राष्ट्रीय बाल भवन को मंजूर किए जाने की अवधि समाप्त होने के छह माह के भीतर प्रस्तुत करना होगा और ऐसा न करने पर उसके किसी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

अनावर्ती अनुदान की राशि

मान्यता प्राप्त बाल भवन को परियोजनाओं के लिए(उन्नयन एवं बदलाव सहित) अधिकतम 10,00,000/– (रुपये दस लाख मात्र) का अनावर्ती अनुदान तथा मान्यता प्राप्त बाल केन्द्र के लिए परियोजनाओं (उन्नयन एवं बदलाव सहित) के लिए अधिकतम 5,00,000/– (रुपये पाँच लाख मात्र) अनावर्ती अनुदान धन की उपलब्धिता एवं परियोजना की संभाव्यता पर निर्भर करते हुए प्रदान की जाएगी। बाल भवन/बाल केन्द्र की विभिन्न परियोजनाओं तथा पाँच वर्ष की अवधि के भीतर अधिकतम दो बार के उन्नयन एवं बदलाव के लिए अनुदान राशि प्रदान की जा सकेगी।

– ऐसे बाल भवन अथवा बाल केन्द्र, जिन्होंने पूर्व में अनुदान लिया हो, वे तीन वर्ष की न्यूनतम अवधि के पश्चात् यदि चाहें तो, एक बार पुनः अनुदान पाने के पात्र हैं।

– उन्नयन और बदलाव के लिए वित्तीय सहायता पर पूर्व अनुदान से तीन वित्तीय वर्षों के बाद ही विचार किया जा सकेगा।

– उन्नयन से अभिप्राय वर्तमान गतिविधि का समुचित औचित्य बताना होगा। उन्नयन प्रस्ताव विस्तृत होने चाहिएं जिसमें नई मांग के साक्षेप पूर्व अनुदान के संबंध में यह मांग का पूर्ण औचित्य देना चाहिए।

– पूर्व में अनुदान के माध्यम से खरीदे गए उपकरणों को बदलने के लिए राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा अनुदान के प्रस्तावों को तभी स्वीकार किया जाएगा जब कि कोई मद समाप्त प्रायः एवं मरम्मत योग्य न रही हो और संबंधित निर्माता कं. से वैद्य कन्डेमनेशन प्रमाणपत्र हासिल कर लिया गया हो।

– गतिविधि से नियमित रूप से लाभ ले रहे बच्चों की संख्या तथा उन्नयन एवं बदलाव दोनों के लिए उसके चित्र दर्शाने चाहिएं।

पात्रता

1. यह समिति पंजीकरण अधिनियम 1860(अधिनियम XXI) के अंतर्गत एक पंजीकृत समिति होनी चाहिए।
2. इसका अपना समुचित विधान एवं मेमोरंडम आफ एसोसिएशन एवं नियम और विनियम होने चाहिएंद्य।
3. इसकी विधिवत गठित प्रतिबंध नियम होना चाहिए, जिसकी विधान में लिखित रूप में शक्तियां एवं कर्त्तव्य स्पष्ट रूप से परिभाषित होने चाहिएं।
4. इसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के समूह के लाभार्थ संचालित नहीं होना चाहिए।
5. इसकी सेवाएं जाति, धर्म अथवा सेवा के भेदभाव के बिना सभी के लिए खुली होनी चाहिए।
6. इसके पास तीन वर्षों के लेखा परीक्षित खाते होने चाहिएं।

परियोजना प्रस्तुत करने की प्रक्रिया

अपनी अपेक्षा के अनुसार, मान्यता प्राप्त बाल भवन एवं बाल केन्द्र अपनी परियोजना के प्रस्ताव प्रस्तुत कर सकते हैं, जिसके लिए अनुदान की आवश्यकता है। परियोजना में निम्नलिखित ब्यौरा ज़रूर दिया जाए :–

1. उद्देश्य
2. इसके अंतर्गत क्षेत्रफल तथा लाभान्वित बच्चे
3. भौतिक लक्ष्य जिन्हें परियोजना द्वारा प्राप्त करना है
4. लागत अनुमान (मदवार अलग–अलग) अनावर्ती मदें जैसे फर्नीचर, उपकरण आदि का ब्यौरा

परियोजनाओं के लिए अनावर्ती अनुदान हेतु परियोजना प्रस्तुत करना –

सभी दृष्टि से पूर्ण परियोजना के प्राप्त अनुदान मांगने वाले लाभार्थी द्वारा निदेशक, राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा निर्धारित प्रोफार्मा में द्वितीय वर्ष की 30 सितम्बर तक पहुंच जानी चाहिए।

अनावर्ती अनुदान के लिए शर्ते :–

1. अनुदान प्राप्त करने वाले बाल भवन/बाल केन्द्र को अनुबंध–।।। में एक बाण्ड निष्पादित करना होगा। अनुदान प्राप्तकर्त्ता बाल भवन/बाल केन्द्र को लिखित रूप में एक बॉण्ड निष्पादित करना होगा कि उसे अनुदान नियमों में अन्तर्विष्ट शर्तें स्वीकार्य हैं और वे अनुदान के साथ संलग्न नियम व शर्तों के पालन के संबंध में भारत के राष्ट्रपति के पक्ष में एक बाण्ड निष्पादित करना होगा तथा यदि वे इनका पालन करने में विफल रहते हैं, तो वे इस प्रयोजनाथ समस्त स्वीकृत अनुदान राशि तथा उस पर ब्याज राष्ट्रीय बाल भवन को लौटा देगा।

2. बाल भवन को यह प्रमाणित करना होगा कि वह निम्नलिखित के लिए उत्तरदायी होने पर अपनी सहमति देता है :–

i. वित्त का प्रशासन एवं प्रबन्धन।
ii. अनुदान का उसी प्रयोजन के लिए उपयोग, जिसके लिए यह जारी किया गया है।
iii. सेवाओं का समुचित कार्यान्वयन, जिसके लिए अनुदान प्राप्त किया गया है।
iv. उपयुक्त राशि, यदि कोई हो, को राष्ट्रीय बाल भवन को वापस करना।
v. स्वीकृति आदेश विनिर्दिष्ट प्रयोजन के अलावा किन्हीं अन्य प्रयोजन के लिए धन के दुरुपयोग अथवा अनाधिकृत उपयोग के मामले में ब्याज सहित सम्पूर्ण राशि को वापस करना।

3. समुचित क्रय प्रक्रिया का पालन किया जाएगा। न्यूनतम तीन दर सूची(कोटेशन) अनिवार्य रूप से ली जाएंगी तथा न्यूनतम दर दर्शाने वाले को आदेश दिया जाएगा। प्रत्येक लेन–देन रोकड़ बही में दर्ज़ की जाएगी।

4. अनुदान के संबंध में अनुदान प्राप्तकर्त्ता बाल केन्द्र पृथक खातों का रख–रखाव करेगा। वित्तीय वर्ष के अंत में संस्था को सरकारी ऑडिटर अथवा किसी सनदी लेखाकार से अनुदान के खातों की लेखापरीक्षा करानी होगी और लेखा परीक्षित खातों के साथ निर्धारित फार्म में निधि के उपयोग का प्रमाणपत्र (अनुबंध–IV) अनुदान स्वीकृति की अवधि समाप्ति के छ माह के भीतर राष्ट्रीय बाल भवन के पास भेजने होंगे। ऐसा न करने पर उनके बाद के अनुदान के किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जाएगा।

5. अनुदान प्राप्तकर्त्ता बाल केन्द्रों के खाते राष्ट्रीय बाल भवन के निदेशक द्वारा तैनात अधिकारियों के निरीक्षण के लिए उपलब्ध रहेंगे। सभी लेखा संबंधी दस्तावेज़, रोकड़ बही आदि निरीक्षण के दौरान उसे उपलब्ध कराए जाएंगे।

6. बाल केन्द्र परिसम्पत्तियों, यदि कोई हो, के रिकॉर्ड का रख–रखाव करेगा, जो उसने पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से हासिल की हो तथा निर्धारित प्रोफार्मा (अनुबंध –V,Vi,VII) रिकॉर्ड रखेगा। इस बारे में अत्यधिक सावधानी बरती जाएगी कि इस अनुदान से वही परिसम्पत्ति/उपकरण खरीदे जाएं, जो बच्चों के लिए गतिविधियां चलाने के लिए अनिवार्य समझे जाएं। ऐसी परिसम्पत्तियों की खरीद यदि कोई हो, का औचित्य अनुदान प्राप्त करना होगा।

7. अनुदान राशि में खरीदी गई ऐसी परिसम्पत्तियां(यदि कोई हों) राष्ट्रीय बाल भवन की सम्पत्ति होंगे। ऐसी परिसम्पत्तियों की बिक्री, ऐसा आक्रान्त होगा अथवा ऐसे प्रयोजनों के लिए इस्तेमाल, जो अनुदान के लिए ब्यौरे से हटकर हों, नहीं किया जा सकेगा। यदि किसी समय पर मान्यता प्राप्त एजेन्सी का अस्तित्व समाप्त हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियों को राष्ट्रीय बाल भवन के पास वापस करना हो, जो इसके पूर्व–प्रयोग तथा पूर्व–:आवंटन के बारे में निर्णय करेगा।

8. संगठन अपनी अर्थव्यवस्था को न्यायोजित, तर्कसंगत ढंग से संचालित करेगा।

9. मान्यता प्राप्त बाल भवन अनुदान के उपयोग के संबंध में पूर्ण रिपोर्ट राष्ट्रीय बाल भवन को भेजेगा। इस रिपोर्ट में लाभार्थी बच्चों की संख्या, संचालित गतिविधियों के साथ–साथ फोटोग्राफ/अन्य दस्तावेज़ होने चाहिएं।

10 (क) अनुदान का कोई भी हिस्सा भवन के निर्माण अथवा जीर्णाद्वार के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

(ख) अनुदान केवल गतिविधियों के संचालन के लिए है और कोई भी व्यय बाल भवन/केन्द्र द्वारा आयोजित समारोह/उत्सव/प्रतियोगिता/शिविर के आयोजन के लिए नहीं किया जाएगा।

(ग) इस अनुदान से निदेशकद्य/अध्यक्ष/सुयोग्य व्यक्ति को किसी प्रकार का मानदेय/वेतन/विशेष राशि अदा नहीं की जाएगी।

(घ) इस अनुदान का कोई अंश किसी ऐसी उपभोज्य वस्तु की खरीद के लिए खर्च नहीं किया जाएगा।

(ड) अनुदान से गतिविधियों के लिए खरीदे गए उपकरण (यदि कोई हो) के रख–रखाव पर खर्चों को सम्बंधित बाल भवन/बाल केन्द्र द्वारा वहन किया जायेगा। राष्ट्रीय बाल भवन ऐसी किसी आवर्ती व्यय के लिए उत्तरदायी नहीं होगा।

प्रस्ताव पर कार्यवाही

बाल भवनों/बाल केन्द्रों द्वारा प्रस्तुत की गयी परियोजना की पड़ताल निदेशक, बाल भवन, उपनिदेशक(प्रशासन) राष्ट्रीय बाल भवन तथा स्कूसल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय के निदेशक/उप सचिव/अवर सचिव अथवा उनके पद नामित प्रतिनिधि की समिति द्वारा सम्पन्न की जाए। यह समिति सूचीबद्ध मानदण्डों के आधार पर मूल्यांकन करेगी।

1. केवल आवर्ती अनुदान के संवितरण के उपरांत ही निधि की उपलब्धता के अध्याधीन गैर–आवर्ती अनुदान के प्रस्तावों पर विचार किया जाएगा।
2. चालू वर्ष के लम्बित आवेदन पत्रों, यदि कोई हो, को अगले वर्ष में प्राथमिकता के आधार पर विचार में लिया जाएगा (बशर्ते वे पात्रता संबंधी मानदण्डापें को पूरा करते हों) और संबंधित बाल भवन/बाल केन्द्र उसके लिए इच्छुक हों। ऐसे मामलों के लिए कुल अनुमानित व्यय के 5 प्रतिशत से अनधिक ओवरहैड प्रभार की अनुमति होगी।
3. अनुदान के अनुमोदन से पूर्व, यह समिति सुनिश्चित करेगी कि पिछले अनुदान (यदि कोई हो) का पूर्ण उपयोग कर लिया गया है तथा लेखा परीक्षित विवरणियों (आय व व्यय, प्राप्तियां व भुगतान और तुलन पत्र) के साथ इस संबंध में निधि के उपयोग का प्रमाणपत्र भी लगाया गया है।
4. अप्रयुक्त राशि (यदि कोई हो) को राष्ट्रीय बाल भवन को वापिस कर दिया गया है।

अनुदान जारी किया जाना वित्त समिति के अनुमोदन के अध्याधीन होगा तथा अनुमोदन प्राप्त होने पर इसे प्रबन्ध–मण्डल की अगली बैठक में इससे अवगत

कराया जाएगा। आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने के उपरांत, बाण्ड के निष्पादन सहित सभी प्रशासनिक औपचारिकतायें पूरी करने के पश्चात मान्यता प्राप्त यूनिटों को निधियां जारी कर दी जाएंगी।

परियोजना का अनुमोदन आगे भी धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा। इस प्रश्न पर कि स्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्ते पूरी की गई हैं अथवा उनका उल्लंघन हुआ है, राष्ट्रीय बाल भवन की अध्यक्ष/प्रबन्ध मंडल का निर्णय अनुदान प्राप्तकर्त्ता के लिए अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

कार्यकलापों की सूची

1. विज्ञान कार्यकलाप
   - भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान (क्यों और कैसे क्लब)
   - आविष्कारक क्लब
   - रेडियो और इलेक्ट्रॉनिक्स क्लब
   - ऍअरो मॉडलिंग
   - संगणक (कम्प्यूटर)
   - पर्यावरण
   - खगोल विज्ञान
   - मछलीघर एवं छोटे चिड़ियाघर संबंधी कार्यकलाप
   - विज्ञान–वाटिका संबंधी कार्यकलाप

2. साहित्यिक कार्यकलाप
   - वाद–विवाद और संगोष्ठियां
   - प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम
   - सृजनात्मक लेखन
   - कविता–रचना, काव्य–पाठ
   - नवीन पुस्तकों की समीक्षा एवं परिचर्चा
   - आशुभाषण
   - वक्तृता

3. सृजनात्मक कलाएँ
   - चित्रकला
   - हस्तशिल्प
   - बुनाई
   - सिलाई और कढ़ाई
   - काष्ठशिल्प
   - मिट्टी का काम
   - जिल्दसाज़ी

4. छायांकन (फोटोग्राफी)
   - श्वेत–श्याम छायांकन
   - रंगीन छायांकन
   - डार्करूम प्रशिक्षण
   - चित्रों के आकार बढ़ाना तथा स्लाइड तैयार करना
   - उच्चतर डिज़िटल छायांकन (प्रिंटिंग, प्रोसेसिंग, स्कैनिंग)

5. मिले–जुले कार्यकलाप

- प्रारंपरिक कला एवं शिल्प
- प्राकृतिक रंग बनाना
- मुखौटे बनाना
- शैक्षिक एवं नवप्रायोगिक खेल / शतरंज
- खिलौने बनाना, पेपरमैशी, मेहंदी लगाना

6. प्रदर्शन कलाएं

- गायन (शास्त्रीय एवं लोक)
- वाद्य संगीत (सितार, वायलिन, तबला, ढोलक, ढोल, बौगो, कौगो, हारमोनियम)
- शास्त्रीय नृत्य (कत्थक, भरतनाट्यम)
- लोकनृत्य
- नाट्यकला

7. शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप

- इन्डोर व आउटडोर खेल (टेबल टेनिस, बैडमिंटन, क्रिकेट, बॉस्केट बॉल)
- योग
- जूडो
- स्केटिंग
- पूर्ण सुज्जित व्यायामशाला

8. छात्रावास कार्यकलाप

- गृह–प्रबंधन
- पाक–कला, बेकिंग
- भोजन–परिरक्षण
- पुष्प–सज्जा
- प्राथमिक चिकित्सा

9. संग्रहालय तकनीक

- सांचा बनाना एवं ढलाई
- प्रदर्शनी डिज़ाइन करना
- संग्रहालय की वस्तुओं का परिरक्षण एवं संरक्षण
- ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर विचार–विनिमय
- फील्ड कार्य

10. प्रकाशन संबंधी कार्यकलाप

यह अनुभाग बच्चों को प्रकाशन की विभिन्न तकनीकों से परिचित कराता है, जैसे कि रिपोर्टिंग, पुस्तक के लिए चित्रांकन, कार्टून बनाना, संपादन एवं उत्पादन।

अनुबंध–।।–क

राष्ट्रीय बाल भवन
कोटला रोड, नई दिल्ली

बाल केन्द्रों को दिए जाने वाले आवर्त्ती अनुदान का प्रोफार्मा

1.	बाल केन्द्र का नाम और पता	:
2.	अवस्थिति (आदिवासी/दूर–दराज़/पिछड़ा/सीमावर्ती क्षेत्र)	:
3.	निधि के स्रोत	:
4.	शुरू की गई गतिविधियां	:
5.	पहुँच (सदस्य बच्चों की संख्या)	:
6.	गतिविधि में सहभागिता	:
7.	अध्यापकों/अनुदेशकों की संख्या	:
8.	गतिविधियाँ संचालित करने के लिए अपेक्षित सामग्री	:
9.	सामग्री की मदवार/गतिविधिवार अनुमानित लागत	:
10.	क्या पिछले अनुदान के उपयोग का प्रमाणपत्र और अंकेक्षित लेखा विवरणियां भेजी जा चुकी हैं, प्रति संलग्न करें।	:
11.	राष्ट्रीय बाल भवन से मान्यता का ब्यौरा (तिथि, शुल्क कब तक अदा किया गया)	:

(अध्यक्ष/निदेशक के हस्ताक्षर)

करार

मैं, राष्ट्रीय बाल भवन द्वारा अनुदान तथा परियोजना कार्यान्वयन के लिए निधियों के उपयोग के लिए निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ।

दिनाँक :

(संगठन के प्रमुख का नाम और हस्ताक्षर)

अनुबंध– ।। ख

मान्यता प्राप्त बाल भवनों तथा बाल केन्द्रों के लिए कतिपय परियोजनाओं के लिए मार्गदर्शी–निर्देश जिनके लिए वे अनुदान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

नोट : संबंधित बाल भवन/बाल केन्द्रों द्वारा अनुमानित परियोजना लागत को स्पष्ट रूप से भरा जाए।

चलते–फिरते पुस्तकालय के लिए परियोजना

प्रस्तावना

चलता–फिरता पुस्तकालय वाहन उन स्थानों पर पुस्तकें लेकर जाता है, जहां कि बड़ी संख्या में बच्चे इनका उपयोग कर सकें। ऐसा चलता–फिरता पुस्तकालय उन बच्चों के लिए, विशेष तौर पर उपयोगी है, जो पढ़ने के इच्छुक हैं किंतु उनके इलाकों में कोई पुस्तकालय न होने के फलस्वरूप उनकी पुस्तकों/अध्ययन सामग्री तक कोई पहुँच नहीं होती। ये वाहन इस प्रकार से डिजाइन किए होते हैं, जिनके शैल्फों में पुस्तकें लगी रहती हैं, जिससे कि जब वाहन को खड़ा करने के उपरांत पाठक पुस्तकें हासिल कर सकें।

उद्देश्य

1. पढ़ने की भावना

2. चलता–फिरता पुस्तकालय इन सुविधारहित बच्चों तक पहुँच बनाएगा, जो विभिन्न कारणों से बाल भवन आकर वर्तमान पुस्तकालय का उपयोग कर पाने में समर्थ नहीं हैं।

3. ऐसे गाँवों अथवा दूरस्थ क्षेत्रों और स्लम बस्तियों में सेवायें प्रदान करना जहां बच्चे पढ़ने के इच्छुक हैं, किंतु अध्ययन सामग्री प्राप्त करने की सुविधाएं नहीं हैं।

इनमें शामिल होंगे :–

1. वाहन : मारुति वैन/मारुति इको/टाटा मैजिक/टाटा 407 वाहन

2. पुस्तकें (करीब 500 तथा अन्य अध्ययन सामग्री)

3. पुस्तक शैल्वस (6–7)

4. टेलीविजन (1)

5. डीवीडी प्लेयर + आडियो सिस्टम (1)

6. शैक्षिक सन्दर्भ की सी.डी. (20–25)

7. मैट/कार्पेट

8. अन्य गतिविधि मदें।

(नोट : पुस्तकालयाध्यक्ष के वेतन के संवितरण तथा ईंधन सहित वाहन के रख–रखाव का खर्च सम्बंधित बाल भवन द्वारा वहन किया जाएगा।)

बाल पुस्तकालय के लिए परियोजना

प्रस्तावना

पुस्तकालय में जन सामान्य के उपयोग के लिए पुस्तकों, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों का संग्रह होता है और इन्हें साफ–सुथरा रखा जाता है। तथापि, पुस्तकों के संग्रह के अलावा, पुस्तकालय में नक्शे, प्रिंट, पत्रिकायें, समाचार पत्र तथा अनेक भाषाओं के अन्य दस्तावेज़ भी होते हैं। पुस्तकालय में विभिन्न विषयों पर सूचनाप्रद आडियो टेप, सी.डी., कैसेट, वीडियो टेप तथा डी.वी.डी. भी उपलब्ध होते हैं। वैश्विक जानकारी हासिल करने के लिए प्रयोक्ताओं को इन्टरनेट सुविधा भी उपलब्ध कराई जाती है।

उद्देश्य

1. बच्चों को ऐसे क्षेत्रों में पुस्तकें (संदर्भ पुस्तकों सहित), समाचार पत्र, पत्रिकायें पढ़ने की सुविधा प्रदान करना, जहाँ ऐसी सुविधाएं मौजूद नहीं हैं।

2. समाज के उन वंचित वर्गों को अच्छी पुस्तकों के साथ–साथ उनकी अकादमिक जरूरत से संबंधित विभिन्न प्रकाशनों की इच्छा पूरी करना, जो स्वयं ऐसी सुविधा न तो प्राप्त कर सकते हैं और न ही वे अपने इलाकों में पुस्तकालय के अभाव में अथवा पुस्तकालय सदस्य–शुल्क अधिक होने के कारण इससे वंचित रह जाते हैं।

3. कहानी सुनाना एवं भूमिका निभाने के माध्यम से अध्ययन की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना।

4. पुस्तकालय के अभिन्न अंग के रूप में साहित्यिक गतिविधियां संचालित करना और बच्चों को कहानी एवं कविता लेखन एवं तत्संबंधी कार्यशालाएं आयोजित करके उनकी सृजनात्मक लेखन की क्षमता खोजने में बच्चों की मदद करना।

इनमें शामिल हैं :–

1. संदर्भ पुस्तकों सहित पुस्तकें (1000)

2. पुस्तक शैल्वज (10) (बड़ी)

3. रीडिंग टेबल (बड़ी 4)

4. कुर्सियां (40)

5. आवधिक/पत्रिकायें (1), डिसप्ले रैक (2), कैटलॉग केबिनेट(2)

6. कम्प्यूटर, प्रिंटर, यूपीएस(1)

(इस अनुदान के लिए केवल तभी आवेदन किया जा सकता है, जब पहले से कोई पुस्तकालय अपग्रेड के लिए मौजूद हो अथवा पुस्तकालय शुरू करने के लिए स्थान उपलब्ध हो)

बच्चों के कोने के लिए परियोजना

प्रस्तावना

'बच्चों का कोना' मुख्य पुस्तकालय में 5–9 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए एक पृथक क्षेत्र है। इससे प्रदर्शित वस्तुओं, प्ले एरिया तथा नयनाभिराम फर्नीचर के चलते बाल उन्मुख वातावरण का निर्माण होता है, जो चित्रों से युक्त पुस्तकों, टच एण्ड टैल पुस्तकों, पॉप अप पुस्तकों व संगीतयुक्त पुस्तकों सहित इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त हों। इसमें बच्चों में जीवन मूल्यों का समावेश करके, पंचतंत्र, जातक कथाओं आदि विषय पर एनीमेशन फिल्मों का भी प्रावधान रहता है।

उद्देश्य :

1. यह कोना एक ऐसा स्थान होगा, जहां नन्हे–मुन्ने पूर्णतः स्वतंत्र महसूस करें, उनका दिल लगे और उनका सम्पूर्ण विकास सुनिश्चित हो सके।

2. बालोपयोगी साज–सज्जा के जरिए (5–9 वर्ष) के बच्चों की अभिरुचि के अनुसार उन्हें आह्लादित कर पढ़ने की आदत को बढ़ावा देना।

3. चित्रयुक्त पुस्तकों, संगीतयुक्त पुस्तकों, पॉप अप पुस्तकों तथा टच एण्ड फील पुस्तकों सहित सहित इस आयु वर्ग के बच्चों के लिए उपयुक्त अध्ययन सामग्री उपलब्ध कराना, जिससे उन्हें आमोद–प्रमोद में सीखने में मदद मिल सके।

4. इस आयु वर्ग के बच्चों तक पुस्तकों की पहुंच कायम करना, ताकि वे अपनी अध्ययन सामग्री चुनकर उठा सकें।

5. विभिन्न कहानियों, कथाओं, फैबल्स की एनीमेटिड प्रस्तुतियां पेश करना, बच्चे दृश्य पद्धति के जरिए कहानियों को बेहतर ढंग से समझ सकें। इससे उनको जीवन मूल्य व आदर्श सीखने में भी मदद मिलेगी।

6. कहानी सुनाने एवं प्रस्तुत करने के सत्र रखना, जिसमें बच्चे विभिन्न कहानियों के रोल में शामिल हो सकते हैं, जिससे उन्हें कहानियों को बेहतर समझने में सहायता होगी और आत्म विश्वास से भर जाएंगे। अर्न्तमुखी बच्चों के लिए यह विशेष उपयोगी भी रहेगा।

इनमें शामिल हैं :–

1. पुस्तकें (500)
2. पुस्तक शैल्वस (छोटे)
3. कार्पेट
4. इन्टीरियर (बालोन्मुख साज–सज्जा, छोटे स्टूल, पर्दे आदि)
5. टेलीविजन (1)
6. आडियो सिस्टम के साथ डीवीडी/वीसीडी प्लेयर (1)
7. फेबल्स नैतिक मूल्यों की सी.डी. आदि (20–25)
8. खिलौने व कठपुतलियां
9. ऍअर कंडीशनर (वैकल्पिक)
   (यह अनुदान तभी मिल पायेगा, जहाँ पहले से पुस्तकालय मौजूद हो

शारीरिक शिक्षा केन्द्र के लिए परियोजना

प्रस्तावना

बच्चे खेलकूद और शारीरिक गतिविधियों का आनंद लेते हैं, किंतु उन्हें अपने इलाके में ऐसी सुविधायें हमेशा उपलब्ध नहीं रहतीं।

उद्देश्य :

1. बाल भवन में शारीरिक शिक्षा केन्द्र से बच्चों को टेबिल टेनिस, बैडमिंटन, जूडो, स्केटिंग आदि जैसी विभिन्न खेलकूद सुविधाओं से सीखने और आनन्द लेने का अवसर प्राप्त होगा।

2. इससे बच्चों की शारीरिक फिटनेस भी सुनिश्चित होगी अन्यथा वे शारीरिक फिटनेस उपकरण के अभाव में मोटे अथवा सुस्त पड़ जाएंगे।

इनमें शामिल हैं :–

1.	टेबिल टेनिस मेज	–	2
2.	बैडमिंटन रैकिट	–	24
3.	बैडमिंटन नेट	–	4
4.	ट्विस्टर डबल और व्यायाम साइकिल (एक सीटिंग स्टैण्डिंग)	–	
5.	जॉगर	–	2
6.	क्रिकेट(2 बैट), बाल, विकेट कीपर पैड के 2 जोड़े		
7.	बेट्समैन पैड (2जोड़े), विकेट कीपर व बैट्समैन दस्ताने (प्रत्येक 2 जोड़े), 2 हेलमेट, 2 सैट स्टम्पस		

अपेक्षित न्यूनतम क्षेत्र

1.	एक बार में 4 बच्चों के लिए टेबिल टेनिस	7मी.x7मी.(इन्डोर)
2.	एक बार में 4 बच्चों के लिए बैडमिंटन	900 वर्ग फीट(इन्डोर)
3.	क्रिकेट	1100 वर्ग मीटर(आउटडोर)। यह क्षेत्र अन्य आउटडोर खेलों जैसे खो–खो, कबड्डी, वार्मिंग अप एक्सरसाइज, माइनर गेम क्रियाकलापों आदि के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।

इनमें शामिल हैं :

1.	अपेक्षित स्थान	2500 वर्ग फीट क्षेत्र (इन्डोर अथवा आउटडोर) ऊँचाई 14–16 फीट (यदि इन्डोर है तो)
2.	रोल 2 स्केटस(समायोजन योग्य)	50
3.	हेलमेट	50
4.	नीकैप	50
5.	एलवो कैप	50
6.	रिस्ट गार्ड	50
7.	जूडो मैट्स	10(न्यूनतम 10 मैट अपेक्षित)

(नोट : यह अनुदान तभी आवेदन किया जा सकेगा, जब उपरोक्त गतिविधियां संचालित करने के लिए स्थान/क्षेत्र उपलब्ध हो)

फोटोग्राफी लैब के लिए परियोजना

प्रस्तावना

फोटो खींचने, प्रोसेसिंग और उसका एनलार्जमेंट करने से संबंधित विभिन्न दक्षता हासिल करने के लिए फोटोग्राफी गतिविधि बच्चों के लिए उपयोगी है। इससे बच्चे न केवल रोचक दृश्यों को कैमरे में कैद कर सकेंगे अपितु अपनी फोटोग्राफी दक्षता में सुधार के लिए आधुनिक तकनीक को भी इस्तेमाल में ला सकेंगे।

उद्देश्य :

बच्चों को डार्क रूम प्रशिक्षण सहित फोटोग्राफी के विभिन्न पहलुओं का प्रशिक्षण प्रदान करना।

1. डिजीटिल कैमरों का इस्तेमाल, सटीक एक्सपोजर, फिल्म डेवलपिंग, कॉन्टैक्ट पेंटिंग, एनलार्जिंग आदि फोटोग्राफी गतिविधि का अभिन्न अंग है।
2. फोटोग्राफ लेते समय वे पक्षियों, पशुओं, फ्लौरा एण्ड फोना का भी अध्ययन कर सकेंगे, जिससे उनके ज्ञान में वृद्धि होगी।

इसमें शामिल हैं :–

क. फर्नीचर

1. कुर्सियां (न्यूनतम 30) बैक सपोर्ट सिस्टम के साथ
2. कम्प्यूटर टेबिल (एक)
3. स्टील अल्मारी (एक)
4. रेफ्रीजिरेटर (एक/छोटा)
5. एक कुर्सी और एक ऑफिस टेबल

ख. डिजीटल कार्य यूनिट

1. कम्प्यूटर (पेन्टियम IV)
2. प्रिंटर(कैनन आई जी–4500) क्यू पी एस
3. स्कैनर 8400 एफ
4. अतिरिक्त कार्टेज का एक सैट
5. एक्सटर्नल हार्ड डिस्क

ग डार्क रूम

1. ऍअर कंडीशनर
2. एनलार्जर 2 बी साईज (एक)
3. मासकिंग बोर्ड (एक)
4. डेवलपिंग डिश 12''x15" (पाँच)
   इलैक्ट्रोनिक टाइपराइटर (एक)
5. ग्रीन फिल्टर के साथ सेफ लाईट (एक)
6. रेड/आरेंज फिल्टर (एक)

घ. स्टुडियो

1. स्टुडियो लाइटें (तीन)
2. साफ्ट बॉक्स (20''x20")
3. स्पॉट लाईट (एक)
4. स्नूट लाईट (एक)
5. स्टुडियो इज़ीचेयर (एक)

ड) प्रैक्टिकल सत्र के लिए अपेक्षित उपकरण

1. एस एल आर कैमरा एम एम 10 (एक)

2. डी एस एल आर (कैनन–450 डी) किट सहित (एक)
3. टेली लेंस कैनन 70, 300 एम एम (एक)
4. कम्पैक्ट डिजीटल कैमरा कैनन (10.1) (एक)
5. फ्लैश कैनन 430 – ई एक्स (एक)
6. कैमरा स्टैण्ड ''ट्राइपोड'' (एक)
7. 'डिजीटल चार्जर' (एक)

अंतरिक्ष यूनिट के लिए परियोजना

प्रस्तावना :

अज्ञात आकाशगंगाओं के बारे में आकाश में अनसुलझे रहस्य भरे पड़े हैं। अनादिकाल से मनुष्य इस अनसुलझे रहस्य को सुलझाने में जुटा है। बच्चे ऊपर आसमान, अर्थात् नक्षत्रों व तारों के बारे में कहीं ज्यादा जानने के इच्छुक होते हैं। बच्चे अब आकाश के बारे में कहीं ज्यादा जान जाते हैं तो वे विडंबनाओं और अंधविश्वासों से ऊपर उठ सकते हैं। टेलिस्कोप की सहायता से दूर के इलाकों में भी रात के समय आकाश दर्शन की गतिविधियां संचालित की जा सकती हैं।

उद्देश्य :

1. छात्रों, अध्यापकों एवं जन–सामान्य के बीच अंतरिक्ष के बारे में रुचि पैदा करना।
2. छात्रों के बीच अंतरिक्ष में अनुसंधान और विकास गतिविधियों के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करना तथा उनमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण की जागरूकता सृजित करना।
3. स्कूली अध्यापकों एवं छात्रों को रिसोर्स पर्सन की भांति प्रशिक्षित करना तथा वे अपने संबंधित स्थानों पर ऐसी गतिविधियां संचालित करना।
4. ग्रामीण स्कूल अध्यापकों को अपने ही स्कूलों में अंतरिक्ष क्लबों की स्थापना के लिए प्रेरित व प्रोत्साहित करना।
5. बच्चों तथा अध्यापकों को दिन में किसी भी समय अंधेरे कमरे में रात को सुन्दर तारों भरी रात में आकाश को निहारना, स्थान चाहें जो भी हो।
6. छात्रों व अध्यापकों को टेलिस्कोप के ज़रिये आकाश को देखने के लिए प्रोत्साहित करना व पहाड़ों पर चढ़ाई, एस्ट्रो फोटोग्राफी, मेटिओर दर्शन आदि जैसी अन्य गतिविधियां संचालित करना।

इनमे शामिल हैं :–

क्र.सं.	मद
1.	19'' टी.एफ.टी. व अन्य उपकरण (प्रिंटर, यू.पी.एस. आदि) के साथ कम्प्यूर
2.	एल.सी.डी. प्रोजेक्टर (3000 – से 4000 लुमेन्स)
3.	स्क्रीन
4.	एस्ट्रोग्राफी सॉफ्टवेयर
5.	डोम (16 फीट चौड़ा)
6.	पैरा बोलिक मिरर
7.	स्टार प्रोजेक्टर
8.	टेलिस्कोप रिफलेक्टर (1)
9.	स्टार ग्लोब, मून ग्लोब व अर्थ ग्लोब
10.	टूल्स व एक्सटेंशन बोर्ड
11.	स्काई चार्ट/स्टार किट्

12.	तारामंडल के लिए ए.सी. (2)
13.	फर्नीचर

मछलीघर कॉर्नर के लिए परियोजना

बच्चों के लिए मछलीघर कॉर्नर एक छोटे कमरे (10x12) से शुरू किया जा सकता है। यदि कमरा उपलब्ध भी न हो तो 10–12 (3''x2") आकार के ग्लास एक्वेरियम टैंक लेकर इन्हें कोरिडोर में रखा जा सकता है तथा अन्य गतिविधियों के साथ विभिन्न उपलब्ध बन्द स्थानों पर इन्हें प्रदर्शित किया जा सकता है। मछलीघर से संबंधित गतिविधियं कहीं भी की जा सकती हैं।

उद्देश्य :–

बच्चों के लिए मछलीघर का अत्यधिक शैक्षिक एवं पारंपरिक महत्व है। मछलीघर बच्चों को वैट–इकोसिस्टम, जलीय जीव–जन्तु तथा वनस्पतियों (हाइड्रोफाइट्स), मोफोलॉजी आदि के बारे में सीखने में मदद मिलती है। इससे बच्चों को वाटर पी.एच., तापमान के उतार–चढ़ाव, इसकी रासायनिक क्रियाविधि, विसोसिटी आदि जानने में भी मदद मिलती है। बच्चों को विभिन्न भौतिक, रासायनिक एवं जीव–विज्ञान सिद्धान्तों के बारे में जानकारी देने के लिए अध्यापकों के पास यह एक सम्पूर्ण अध्यापन प्रविधि है।

इसमें शामिल हैं :–

<u>10(3''x2") टैंकों में मछलीघर कॉर्नर शुरू करने के लिए</u> :

1. 3'x 2'x 2' आकार के 12 एम. एम. कवर के साथ (दोनों ओर सनमाइका) 10 ग्लास टैंक।
2. स्टील के 1.5'' x1.5" एंगल स्टैण्ड (फोल्डिंग नट–बोल्ट)।
3. इलैक्ट्रिकल (वायरिंग, ट्यूब लाईट, प्लग बोर्ड आदि) 800/– @ प्रति टैंक।
4. मछली और प्लांट/टैंक 1000/– @ प्रति टैंक।
5. 1 एअर पम्प + 1 फिल्टर/टैंक @ 500/– प्रति टैंक।
6. मछलीघर उपस्कर (ग्रवल, सीनरी, मछली नेट, टॉय पाईप आदि)।
7. मछली का भोजन व दवाई।
8. नल फिट करने के लिए प्लम्बर का खर्चा।

विज्ञान वाटिका एवं विज्ञान बुलेटिन बोर्ड

लक्ष्य : जहाँ कोई विशेष विज्ञान प्रयोशाला उपलब्ध नहीं है, वहाँ बच्चों के बीच अभिरुचि एवं विज्ञान का सृजन करने के लिए यह एक न्यून लागत का विकल्प है।

उद्देश्य :

1. प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए विज्ञान गतिविधियां।
2. आम लोगों के बीच सामान्य जागरूकता पैदा करने के लिए।
3. खेल–खेल में वैज्ञानिक गतिविधि के लिए स्थान एक सुरक्षित पद्धति है। अध्ययन उन्मुख वैज्ञानिक माहौल का निर्माण।
4. बच्चे निम्न कार्य कर सकेंगे :
   i) पारम्परिक कक्षा में विज्ञान कार्नर की पहचान।
   ii) विज्ञान कार्नर में मदें शामिल करना।
   iii) अपनी कक्षा में विज्ञान कार्नर की देखरेख में भाग लेना।

स्थान की ज़रूरत :

बुलेटिन बोर्ड – 5 X 4 फीट के लिए दीवार – बायो डायवर्सिटी प्लांट, ओरिगामी तकनीक विज्ञान समाचार, विज्ञान वैव एक्सप्रैस डिसप्ले।
शैल्वज और ड्राइवर से युक्त एक कोना तथा गतिविधियां संचालित करने के लिए एक बड़ी मेज। रुचि बढ़ाने तथा प्रैक्टिकल गतिविधियां, चलाने में सुविधा की दृष्टि से इस मेज को डिज़ायन भी किया जा सकता है।

इसमें शामिल हैं :–

छात्र एवं अध्यापक दोनों ही समुदायों से संचालित की नई विभिन्न मदें। जहां तक सम्भव हो, ऐसी मदें सडनशील तथा खतरनाक नहीं होनी चाहिए।

अल्मारी – 2
गतिविधि टेबिल – 6
फिटिंग युक्त पॉट
लाईट समेट लाइटिंग फिक्चर्स आदि।
प्रदर्शनी लगाने के साथ–साथ गतिविधियों के लिए अपेक्षित सामग्री।
(रंगीन कागज, पेस्टल शीटें, रंग, ब्रश,
स्टेपिल गन, दोनों ओर गोंद युक्त टेप,
नेल्स, थम्ब पिन्स, हथौडा, कटर,
प्लायर आदि)

नोट : यह अनुमान करीब 200 वर्ग फीट (फ्लोर स्पेस) + 265 वर्ग फीट प्रदर्शनी स्पेस (वाल स्पेस)

बाल भवनों के लिए कागज की रीसाक्लिंग यूनिट के लिए परियोजना

रीसाक्लिंग किया गया कागज़ – यह जीवन रक्षक है और इससे हमारी भंगुर जीवन प्रणाली की रक्षा में मदद मिलती है।

वन हमारे भू–मण्डल पर जीवन की समृद्धतम अभिव्यक्तियों में हैं। निःसन्देह वृक्ष वन का सर्वाधिक दृष्टिमान अंग हैं। किन्तु कई अन्य जीवन्त चीजें भी हैं, जो मानव पर निर्भर हैं। जब हम वृक्षों की कटाई करते हैं, तो सभी जीवन्त वस्तुयें नष्ट हो जाती हैं और इसी प्रकार जीव रक्षक चीजें भी, जिन पर हम निर्भर हैं : भू–जल स्तर कम हो जाना, मिट्टी का कटाव और वातावरण में भयावह स्तर तक कार्बन डाइआक्साइड का बढ़ जाना। जब हम अपनी नदियों को प्रदूषित करते हैं तो हम अन्य चराचर जगत की नेमतों को भी नष्ट कर डालते हैं और इसके सदृश महत्त्वपूर्ण जीवन तत्त्वों को भी क्षीण कर देते हैं।

व्यर्थ सामग्री –प्रयुक्त कागज, सूती कतरनों तथा आवंछित बाओ–मास का इस्तेमाल करते हुए कागज की रीसाइक्लिंग

हमारे जल–स्रोतों मे कोई रसायन छोड़े बगैर इससे वृक्षों की रक्षा होती है।
याद रहे! एक टन रीसाइक्लिड कागज से 3 टन लकड़ी और 100 क्यूबिक मीटर जल की बचत होती है और इससे 40,000 रु. की मजदूरी का सृजन होता है : जीवन के लिए आक्सीजन देने वाले 6 वृक्ष, मिट्टी और जल, एक ग्रामीण परिवार को 3 वर्ष के लिए ईंधन की लकड़ी मिलती है। एक व्यक्ति के लिए 25 वर्ष का पेयजल, खत्ती के लिए 1 वर्ग फीट भूमि। 20 ग्रामीणों के लिए 1 माह की आमदनी, जो हमारे देश में गरीबी उन्मूलन के चिन्ता का सतत कारण है और पर्यावरण की रक्षा के चलते नए उत्पादक प्रणालियों की खोज की ओर अग्रसर होते हैं, जो ग्राहकों की जरूरतों को पूरा करते हुए हम इन लक्ष्यों की दिशा में योगदान कर सकें। आम भाषा में इस दृष्टिकोण को 'स्थायी राष्ट्रीय विकास' कहा जाता है।

उद्देश्य :

1. स्थायी विकास की दिशा में एक व्यावहारिक पहल।
2. यह एक गुणवत्तापूर्ण सक्रिय गतिविधि है, एक वोकेशनल पाठ्यक्रम है, बच्चों, वयस्कों व संगठनों के लिए एक लघु स्तरीय कारोबार है।

इसमें शामिल हैं :–

हाइड्रोपल्पर (1कि.ग्रा. प्रति चार्ज क्षमता) – 1 नग
यूनीवेट –1 नग
स्क्रू प्रैस – 1 नग
औजार व अतिरिक्त पूर्जों का सैट
कैलेण्डरिंग मशीन – सेमी ओमैटिक – 1 नग

रिसाइक्लिड कागज से लुगदी तैयार करने में हाइट्रोपल्पर का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें इंक रहित और पानी में निचुड़ा कागज हो। चिकने और वैक्स युक्त कागज इसमें वर्जित है और इसे पृथक कर देना चाहिए। पल्पर की क्षमता प्रति चार्ज 6 कि.ग्रा. है और एक दिन में 3–4 बार चार्ज किया जा सकता है। दी यूनीवेट एक अद्वितीय उपकरण है, जो पल्पर में पल्प का इस्तेमाल करके एक समान मोटाई की कागज की शीटों को टैंक में युक्त डेक्कल से उठता है और पृथक शीट बनाने में प्रयुक्त होता है। यह उपकरण असेम्बल और इसका रख–रखाव में आसान होता है।

स्क्रू प्रैस की दक्ष प्रणाली है, जो हाई प्रैशर का निर्माण करने तथा कागज की (काली गीली शीटों) के चट्टे के फालतू पानी को निचोड़ने के लिए हाथ से संचालित होती है।

कैलेण्डींग मशीन

दो ठण्डे सिलेण्डर विपरीत दिशाओं में घूमकर कागज की शीटों को स्पष्ट फिनिशिंग प्रदान करते हैं। इस उपकरण में आन्तरिक सुरक्षा उपकरण लगा होता है।

अपेक्षित कच्चे माल की मात्रा

कच्चा माल (बेकार कागज, अखबारी कागज को छोड़कर), वेस्ट की छंटाई करने के उपरांत संगठन द्वारा इसे मुहैय्या कराया जाएगा।

रसायनों का प्रयोग

पेपर रीसाइक्लिंग प्रक्रिया में कोई रासायनिक प्रक्रिया शामिल नहीं होती।

पानी की ज़रूरत

एक सप्ताह के लिए 800 लीटर पीने का पानी चाहिए और इस पानी को फिल्टर द्वारा साफ करके पुनः इस्तेमाल किया जा सकता है।

नोट : चूंकि लुगदी में कोई रसायन शामिल नहीं होता, अतः इसे वेस्ट पल्प निकालने (जो प्रायः नगण्य होता है) गार्डनिंग के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है और यह इस प्रयोजनार्थ पूर्णतः सुरक्षित है।

स्थान की आवश्यकता

खुला स्थान : 60 वर्ग मीटर

गीला स्थान : 20 वर्ग मीटर
सूखा स्थान : (स्टोर, कैलैण्डरिंग व कटिंग) : 20 वर्ग मीटर
सूखा स्थान : (उत्पाद और सामग्री स्टोर) : 20 वर्ग मीटर
कुल स्थान : 120 वर्ग मीटर

नोट : कवर्ड स्थान की ऊँचाई भूतल स्तर से 11 फीट होगी। स्थान को अंतिम रूप देने का दायित्व संगठन का होगा।

सफलता का स्तर

इस संयंत्र के जरिए प्रतिदिन 5 कि.ग्रा. बेकार (कागज और सूती कतरन) और प्रति सप्ताह 30 कि. ग्रा. वेस्ट रीसाकिल हो सकता है।

इससे प्रति सप्ताह 30 कि.ग्रा. उत्पाद तैयार हो सकता है, अर्थात् प्रति सप्ताह 500 शीटें (12''x18'') आकार) तथा प्रतिवर्ष 30000 शीटों का उत्पादन हो सकता है।

विज्ञान वाटिका के लिए परियोजना

प्रस्तावना :–

विज्ञान वाटिका एक ऐसा पार्क है, जिसमें सामान्य मशीनों और मॉडलों के माध्यम से वैज्ञानिक सिद्धान्तों व संकल्पनाओं को स्पष्ट किया जाता है।

उद्देश्य :

1. खेल–खेल में विज्ञान की समझ–बूझ।
2. स्थायी विकास के बारे में बच्चों में परख–कौशल का विकास एवं अध्यापन पद्धति विकसित करना।
3. समस्यायें हल करने में सरल विज्ञान का इस्तेमाल।
4. स्कूल क्रियाकलापों में मदद करना।
5. बच्चों को विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं नवीनीकरण की संकल्पना की जानकारी देना।
6. विज्ञान वाटिकाओं पर आधारित पारस्परिक प्रश्नोत्तरी की प्रवृत्ति से हासिल वैज्ञानिक ज्ञान का मूल्यांकन।

इसमें शामिल हैं :–
(कुछ आम मॉडल)

1. बच्चों के लिए स्लाइड के रूप में साइक्लोइड पथ एवं समतल स्थल।
2. अनुकूल स्विंग।
3. न्यूटन की रंग डिस्क।
4. ज्योमितीय आकारों और लिस्साजॉयस प्रतिछायाओं के लिए वेक्स का बॉक्स।
5. विभिन्न आकार के पेंडूलम स्विंग।
6. गुरूत्वाकर्षण स्विंग तथा टॉय का केन्द्र।
7. सेन्ट्रीफुगल एवं सेन्ट्रीपीटल फोर्स।
8. प्रतिछायायें।
9. लीवरों का इस्तेमाल – सी–सॉ स्विंग।
10. पुलियां : वजन उठाने के लिए।
11. रंगों का मिश्रण।
12. ध्वनि प्रयोगों के लिए जादूलोफोन।
13. वाइरोस्कोपिक मोशन।
14. 3–डी पिक्चर्स।
15. मैगनैटिक रिंग लांचर।
16. सौर–ऊर्जा ग्राम
    सौर फव्वारा, सौर खाना उत्षीडक/अवशोषण/कुकर, सौर–प्रकाश व्यवस्था।

बाल संग्रहाल कॉर्नर की स्थापना हेतु परियोजना

उद्देश्य एवं लक्ष्य

- बच्चों के लिए एक ऐसा झरोखा खोलना, जिससे वे अपनी अभिरुचि के विषयों/क्षेत्रों में झांकते हुए अपनी जानकारी एकत्रित कर सकें।
- अनुभव प्राप्त करते हुए अपनी अभिरुचि का उन्नयन एवं समावेशन।
- बच्चों को एक ऐसा स्थान प्रदान करना, जहाँ वे खेल–खेल में सीख सकें।
- उन्हें एक ऐसा मंच प्रदान करना, जहाँ वे बड़ी संख्या में लोगों के साथ अपने विचारों को सांझा कर सकें।
- आगन्तुक बच्चों को अपनी प्रतिभा को जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना।
- स्कूल छोड़ चुके/स्कूल न जाने वाले बच्चों के लिए एक अनौपचारिक शिक्षा केन्द्र के रूप में काम करना।
- बच्चों के बीच सांस्कृतिक/पर्यावरणीय/सामाजिक/वैज्ञानिक जागरूकता उत्पन्न करना।
- विभिन्न गतिविधियों एवं प्रदर्शनियों के जरिये बच्चों के बीच नैतिक मूल्यों एवं राष्ट्रभक्ति और जुड़ाव की भावना पैदा करना।
- बच्चों में इतिहास के प्रति रुचि पैदा करना, क्योंकि इतिहास को नीरस विषय के रूप में माना जाता है।
- बच्चों को अपने महत्व, अपने कार्यों, सामाजिक चेतना में प्रदर्शित भूमिका के परिप्रेक्ष्य में संग्रहालयों की संभावनाएं(शुरुआत अपने शहरों में) तलाशने के लिए प्रोत्साहित करना।

स्थान की आवश्यकता : 200 वर्ग फीट (भूतल क्षेत्र) + प्रदर्शनी के लिए 265 वर्ग फीट (वाल स्पेस)

संरचना : संग्रहालय कोने में दो खण्ड शामिल रहेंगे :

(i) गतिविधि क्षेत्र – जिसमें बच्चों को अपनी अभिद्यरुचि के विषय के संबंध में अनुभव प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।

(ii) प्रदर्शनी क्षेत्र – जहाँ बच्चे की अभिरुचि की थीम आधारित प्रदर्शनियां/वस्तुएं/आच्छादित वस्तु–चित्र आदि लगाए जा सकें।

इनमें शामिल हैं :–

प्रदर्शनी पैनल 8''x 4'' = 8 नग

अथवा

7''x 3'' = 10 नग

टी.वी./डी.वी.डी. प्लेयर = 1 नग

पेडस्टल्स = 10 नग

शो–केस = 21 नग

दरी (10''x15'') = 1 नग

अथवा

7''x 3'' = 30 नग

टी.वी./डी.वी.डी. प्लेयर = 2 नग

श्रृव्य–दृश्य प्रोजेक्टर = 1 नग

रंगीन तथा एकल कलर (ब्लैक) कम्प्यूटर प्रिंटर

पेडस्टल (असोर्टिड तथा आकार) : 20 नग

शो–केस (8''+ 8''+ 4'') : प्रत्येक की संख्या आवश्यकतानुसार

भण्डारण क्षेत्र के लिए शीशे तथा दराज़ वाली अलमारियां : 10 नग
गतिविधि टेबिल : 6 नग
कम ऊँचाई के स्टूल : 35 नग
लाइटिंग फिक्सर्ज, स्पॉट लाईट फिटिंग सहित आदि (डिस्प्ले के लिए उपयुक्त)
गतिविधि के साथ–साथ प्रदर्शनी के लिए अपेक्षित सामग्री

(रंगीन कागज़, पेस्टल शीटें, रंग, नेल्स, थम्ब पिन, हथौड़ा, कटर, प्लायर, पेंट आदि)

नोट : यह अनुभाग करीब 5000 वर्ग फीट (भूतल स्थान) + 8000 वर्ग फीट (वाल स्पेस) प्रदर्शनी के लिए हैं)।

– थीम आधारित शैक्षिक कार्यक्रम/कार्यशाला/गतिविधियां/इसकी विभिन्न प्रदर्शनी गैलरियों में गाइडयुक्त भ्रमण/संग्रहालयों एवं पुरातत्वीय स्थलों के दौरे।

इसमें शामिल है :–
सामग्री : प्रदर्शनी पैनल 8''x 4'' = 30 नग

स्थायी पैराबोलिक सौर कुकर

17. दिशा ज्ञान के लिए भूतल पर कम्पास
18. समय की गणना के लिए उत्तरांश एवं पूर्वांश ग्लोब
19. छोटी पवन टर्बाइन
20. मौसम केन्द्र – वाटर गेम, पवन उन्मुख, पवन गति, सदृश आदृता (नमी)
21. पोलस्टार लोकेटर
22. हर्बल गार्डन

प्रयोग होने वाली सामग्री
फाईवर ग्लास
स्टील
आवश्यकतानुसार सिविल निर्माण कार्य
कोई अन्य समुचित प्रौद्योगिकी

प्रदर्शन कला अनुभाग के लिए परियोजना
नृत्य एवं संगीत के लिए सामग्री का अनुमान

प्रस्तावना

प्रदर्शन कला गतिविधियां बच्चों को आत्म अभिव्यक्ति के अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं। वाद्य संगीत, शास्त्रीय संगीत एवं लोक संगीत और नृत्य इस गतिविधि का अभिन्न अंग हैं।

उद्देश्य :

1. बच्चों की कल्पना शक्ति में वृद्धि और उन्हें अपनी क्षमता महसूस कराना।
2. बच्चों को अपनी झिझक दूर करना व आत्म विश्वास विकसित करना।
3. भिन्न आयामों में विभिन्न नृत्य एवं गीतों के माध्यम से संस्कृति एवं परम्परा दोनों से बच्चों को परिचित कराना।

इसमें शामिल हैं :–

क्र.सं..	मद
1.	भरतनाट्य परिधान
2.	लोक परिधान
3.	घूंघरू
4.	जेवरात
5.	हार्मोनियम (10 वाद्य, 1 कंठ, 1 नृत्य)
6.	तबले की जोड़ी (10 वाद्य, 1 कंठ, 1 नृत्य)
7.	ढोलक (10 वाद्य, 1 कंठ, 1 नृत्य)
8.	मृदंग (10 वाद्य, 1 कंठ, 1 नृत्य)
9.	ताल
10.	पखावज

सिलाई यूनिट के लिए परियोजना

प्रस्तावना

सिलाई यूनिट और कार्यशाला क्षेत्र में बच्चों को एक ओर जहाँ कपड़े की कटिंग और टेलरिंग की मूलभूत बातें सीखने में मदद मिलेगी, वहीं उन्हें विभिन्न प्रकार के कपड़ों को डिजाइन करना, पैच वर्क तथा सृजनात्मक कढ़ाई आदि सीखने का अवसर मिलेगा।

उद्देश्य :

1. बच्चों को आत्म निर्भर बनाने के लिए उन्हें कटिंग और टेलरिंग का प्रशिक्षण देना तथा भविष्य में इसे एक व्यवसाय के रूप में शुरू करने में मदद करना है।

इसमें शामिल हैं :–

क्र.सं..	मद
1.	सिलाई मशीन (3 हाथ सिलाई मशीनें और 5 ट्रेडल मशीनें, 2 उषा सिलाई मशीनें)
2.	मशीन की मोटरें (4)
3.	मशीन के वुडन कवर (10)
4.	सिलाई मशीनों के लिए स्टूल (7)
5.	कटिंग टेबिल (3)
6.	सहायक सामग्री (हाथ की सुईयां, मशीन की सुईयां, पैचकस, इंचटेप, स्केल, दर्पण, प्रेसिंग टेबिल)
7.	कैंचियां (10)
8.	अल्मारी (2)
9.	प्रैस (आयरन) (2)
10.	विविध (दरी, कपड़ा, धागा, आदि)
11.	छात्रों के लिए स्टूल (30)
12.	डिस्पले बोर्ड (2)

दृश्य–श्रृव्य उपकरण के लिए परियोजना

उद्देश्य

दृश्य–श्रृव्य उपकरण क्लास रूमों में प्रशिक्षण की प्रभावोत्पादकता को बढ़ावा देना है और बाल भवनों में इस सुविधा को आवश्यक माना गया है, क्योंकि हमें बड़ी संख्या में बच्चों के साथ संवाद कायम करना होता है और दृश्य–श्रृव्य उपकरणों के प्रस्ताव भेजने वाले बाल भवन में समुचित हॉल अथवा खुला रंगमंच का होना अत्यंत आवश्यक है।

संगीत, नृत्य एवं नाटक जैसे कार्यक्रम संचालित करने के प्रयोजन से निम्नलिखित उपकरणों की खरीद की जा सकती है।

इनमें शामिल हैं :–

क्र.सं..	मद
1.	पी.ए. सिस्टम
	(क) एम्पलीफायर
	(ख) मिक्सचर
	(ग) स्पीकर
	(घ) स्टैण्ड के साथ माईक
2.	एल.सी.डी. प्रोजेक्टर
3.	एल.सी.डी. टी.वी. (32'')
4.	आवाज रिकार्डिंग के लिए वीडियो कैमरा
5.	लैपटाप

अनुबन्ध – III

बॉन्ड

इस प्रलेख द्वारा सर्वविदित हो कि हमने समितियों का पंजीकरण अधिनियम .... के अंतर्गत पंजीकृत समिति की ओर से तथा इसके लिए इस प्रलेख को हस्ताक्षरित किया (इस 'बाध्यकारी' पद को एतद्पश्चात्, जब तक कि इस संलग्न सन्दर्भ में कोई अन्य प्रावधान शामिल न हों, इनमें इसके उत्तराधिकारीगण, अनुज्ञेय समनुदेशिति तथा बाध्यकारी की परिसम्पत्तियों एवं सम्पत्तियों का निपटान करने के पात्र सभी व्यक्तियों) को भारत के राष्ट्रपति, जिन्हें एतपश्चात 'सरकार' कहा जाएगा, जिस मद को जब तक उक्त सन्दर्भ में अन्यथा कोई और सन्दर्भ अन्तर्विष्ट न हो, इसमें उनके उत्तराधिकारीगण तथा समनुदेशिति को शामिल माना जाएगा) मांग किए जाने पर सरकार द्वारा भली–भांति एवं वस्तुतः रु. ....(रुपये ....)
की राशि की अदायगी के लिए हम इसके द्वारा स्पष्ट रूप से स्वयं को बाध्य करते हैं।

2. यह प्रलेख आज दिनाँक ....माह ....वर्ष.............................. को हस्ताक्षरित किया गया है।

3. यह कि 'बाध्यकारीगण' राष्ट्रीय बाल भवन के पत्र संख्या जी ओ/...../.........../................../, दिनाँक (जिसे एतदपश्चात 'स्वीकृति पत्र' कहा जाएगा, जो इस प्रलेख का अंश एवं अभिन्न अंग होगा और एतद्संलग्न अनुबंध 'क' की एक प्रति) एतद् अर्न्तविष्ट शर्तों तथा रीति से स्वीकार तथा उसकी पावती देते हैं, जिसे एतद्पश्चात बाध्यकर्त्ता सहमत होंगे, निष्पादित करते हैं।

4. अब उपरोक्त लिखित बाध्यता की शर्त्तें यह हैं कि यदि 'बाध्यकारी' स्वीकृति पत्र में उल्लिखित सभी नियमों और शर्त्तों का विधिवत पालन करता है, तो उपरोक्त लिखित बॉण्ड वैद्य होगा तथा यह अन्यथा प्रवृत्त, प्रभावी एवं सत्य होगा।

5. और उपस्थितजनों ने आगे निम्नानुसार प्रस्तावित किया है :–

(i) राष्ट्रीय बाल भवन, नई दिल्ली की अध्यक्षा/निदेशक/अनुदान सहायता समिति का इस संबंध में अधिनिर्णय कि क्या स्वीकृति पत्र में उल्लिखित नियम एवं शर्तों का कोई उल्लंघन हुआ है, वह 'बाध्यकारी' के लिए अंतिम एवं बाध्य होगा; और

(ii) सरकार के इस प्रलेख पर प्रसार योग्य स्टाम्प ड्यूटी, यदि कोई हो, वहन करने का निर्णय किया है।

6. इस प्रलेख के साक्ष्यस्वरूप 'बाध्यकारी' द्वारा बाध्यकर्त्ता की समिति के प्रबंध मंडल (प्रशासनिक तंत्र) द्वारा पारित प्रस्ताव के अनुपालन में उनकी ओर से ऊपर उल्लिखित तिथि को अपने हस्ताक्षर किए हैं।

बाध्यकर्त्ता

जिसकी उपस्थिति में निष्पादित किया गया — गारंटीकर्त्ता संस्था के हस्ताक्षर

नाम व पता

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)
भारत के राष्ट्रपति के लिए और उनकी
ओर से स्वीकार गया गया।
(नाम और पदनाम)

अनुबंध–**IV**

उपयोग संबंधी प्रमाणपत्र

क्र.सं.	पत्र सं. व तिथि	राशि	टिप्पणियां
			प्रमाणित किया जाता है कि राष्ट्रीय बाल भवन के हाशिये में दर्शाए गए पत्र संख्या के अंतर्गत ....के पक्ष में के .....200 दौरान स्वीकृत ..... की अनुदान राशि में से ..... रुपये की राशि का इस प्रयोजनार्थ उपयोग कर लिया गया है तथा शेष अप्रयुक्त .....रु. की राशि बची है अथवा ..... रु. की राशि को लौटा दिया गया है। लेखा परीक्षित विवरणियां संलग्न हैं।

———————————————————————————————————— प्रमाणित किया जाता है कि मैं स्वयं संतुष्ट हूँ कि अनुदान स्वीकृत करने संबंधी शर्त्तों का विधिवत पालन किया गया है और मैंने इस आशय की सभी जाँच कर ली है कि उक्त धन राशि का वास्तव मं उस प्रयोजनार्थ उपयोग किया गया है, जिसके लिए यह स्वीकृत की गई थी।

हस्ताक्षर
संबंधित बाल भवन का प्रमुख
रबड़ की मोहर .....

जी एफ आर 35
(देखें नियम 190(2) (iii)

तिथि	दर्ज सं.	लेखक	शीर्षक	खण्ड	स्थान व प्रकाशक	प्रकाशन का वर्ष	पृष्ठ सं.	स्रोत	क्लास सं.	पुस्तक सं.	लागत	बिल सं. व तिथि	निकासी की तिथि	टिप्पणियां
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

अनुबंध–**VI**

जी.एफ.आर. 40
(नियम 190(2)(i) देखें)

स्थायी परिसम्पत्तियों का नाम और ब्यौरा .....

तिथि	परिसम्पत्तियों का ब्यौरा	सप्लायर का ब्यौरा		परिसम्पत्ति की लागत	परिसम्पत्ति की स्थिति	टिप्पणियां
		नाम और पता	बिल सं. व तिथि			

नोट : एक समान स्वरूप की मदां के लिए, किंतु जिनकी विशिष्टतायें पृथक हैं (जैसे स्टडी टेबिल, कार्यालय टेबिल, कम्प्यूटर टेबिल आदि) को स्टॉक रजिस्टर में पृथक गणना करनी चाहिए।

जी.एफ.आर. 41
(नियम 190(2)(i i) देखें)

उपभोज्य जैसे स्टेशनरी, कैमिकल्स, स्पेयर पार्ट्स जैसी वस्तुओं का स्टॉक रजिस्टर
वस्तु का नाम ..... लेखा की यूनिट .....

तिथि 1	विवरण 2	सप्लायर एन्वाय ससं. व तिथि 3	प्राप्ति 4	जारी वाउचर सं. 5	जरी 6	शेष 7	यूनिट मूल्य 8

नोट : प्रयोक्ता के मूल माँग पत्र को जारी वाउचर माना जाएगा। जारी वाउचर सं. क्रमवार, वित्त वर्ष वार रहेगी और इसे प्रत्येक माँग पत्र पर नोट किया जाना चाहिए।